न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम विकास पारासर

मुकदमा न. 27/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

26.07.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी विकास पारासर पुत्र राधेश्याम पारासर निवासी वार्ड नं. 7 जीणमाताजी जिला सीकर मैसर्स– भगवती मिष्ठान भण्डार, मन्दिर के पास जीणमाताजी जिला सीकर उपस्थित। बहससुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1146 वस्तु सरसो तेल (कबीरा) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी विकास पारासर के 10000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 26/7/18

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official